GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. †*202

TO BE ANSWERED ON THE 14TH MARCH, 2018/PHALGUNA 23, 1939 (SAKA)

USE OF HINDI IN OFFICIAL WORK

†*202. SHRIMATI CHHAYA VERMA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government Departments find it difficult to work in Hindi, which is the official language of Union of India, and therefore maximum work is being disposed of in English language;

(b) whether Government has prepared any framework under which all Government Departments will start working in official language Hindi in a phased manner; and

(c) the steps taken by Government Departments in the form of Hindi Pakhwada every year to encourage working in Hindi language during the last three years and whether it has promoted working in Hindi?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI KIREN RIJIJU)

(a) to (c): A statement is laid on the Table of the House.

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 202*
दिनांक 14.03.2018/23 फाल्गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए

सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग

†*202. श्रीमती छाया वर्माः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकारी विभाग भारत संघ की राजभाषा हिन्दी में काम करने में कठिनाई महसूस करते हैं जिससे ज्यादातर कामकाज अंग्रेजी भाषा में संपन्न हो रहा है;
(ख) क्या सरकार ने कोई ऐसी रूपरेखा तैयार की है जिसके अंतर्गत सभी सरकारी विभाग एक चरणबद्ध तरीके से राजभाषा हिन्दी में काम करना आरंभ कर दें; और
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान हिन्दी भाषा में काम करने हेतु सरकारी विभागों द्वारा प्रति वर्ष 'हिन्दी पखवाड़े' के रूप में प्रोत्साहन स्वरूप कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं और क्या इससे हिंदी में कामकाज करने को बढ़ावा मिल रहा है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

STATEMENT IN REPLY TO THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. *202 FOR 14.03.2018.

(a): No, Sir.

(b): An Annual Programme is prepared every year by Department of Official Language for the compliance of all Central Government Ministries/Departments. The targets are fixed in this programme for the use of Official Language for various work items. Details regarding targets achieved in compliance of Annual Programme are laid on the table of both the Houses of Parliament in the form of Annual Assessment Report. The 48th Annual Assessment Report of 2016-17 was placed on the table of both the Houses of Parliament in Lok Sabha on 02.01.2018 and in Rajya Sabha on 03.01.2018 respectively which clearly specifies that satisfactory work is being done in Official Language Hindi in Government Departments.

(c): Department of Official Language issues letters/directions to organise Hindi Pakhwara during the month of September to encourage the working in Hindi Language, to ensure compliance of Official Languages Act, 1963, Official Language Rules, 1976 and directions issued from time to time. The Ministries/ Departments/ Offices/ PSU's/ Banks etc organise Hindi Pakhwara independently at their level. Moreover, the Department of Official Language organizes "Hindi Diwas" on 14th September every year in which outstanding performances in Official Language Hindi of Ministries/ Departments/ Offices/ PSU's/ Banks etc are felicitated. This leads to a positive effect on the working in Official Language Hindi in Government Ministries/Departments.

****

<u>दिनांक 14.03.2018 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 202 के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क) : जी, नहीं।

(ख) : राजभाषा विभाग द्वारा प्रति वर्ष भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों आदि के अनुपालनार्थ वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। इस वार्षिक कार्यक्रम में विभिन्न कार्य विवरणों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन में प्राप्त किए गए लक्ष्यों का विवरण वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट के रूप में संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखा जाता है। वर्ष 2016-17 की 48वीं वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सभा पटल पर, लोकसभा में 02.01.2018 को और राज्य सभा में 03.01.2018 को रखी गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारी विभागों में हिंदी में संतोषजनक कार्य हो रहा है।

(ग) : राजभाषा विभाग हिंदी भाषा में कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए सितंबर के महीने में हिंदी पखवाड़ा आयोजित करने के लिए, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम 1976 और समय-समय पर जारी निदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पत्र/निदेश जारी करता है। मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि द्वारा स्वतंत्र रुप से अपने स्तर पर हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त राजभाषा विभाग द्वारा प्रति वर्ष 14 सितंबर को “हिंदी दिवस” का आयोजन किया जाता है जिसमें राजभाषा हिंदी में सराहनीय कार्य करने वाले मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों को पुरस्कृत किया जाता है। इससे मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा हिंदी में कार्य करने की दिशा में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।